जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

बिजली की बकाया राशि के 15 प्रकरणों में बकायादारों की सम्पत्ति कुर्क

जयपुर, 18 अक्टूबर। बिजली की करोड़ों रुपए की बकाया राशि की वसूली के लिए चलाए गए अभियान के तहत बुधवार को 15 प्रकरणों में सम्पत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की गई। इसी प्रकार बकाया राशि के 5 प्रकरणों में 19 अक्टूबर को सम्पत्ति कुर्क कर कब्जा राज करने की कार्यवाही की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि गत शुक्रवार को विद्युत वितरण निगमों की वीडियो कान्फ्रेंसिग में विद्युत वितरण निगमों के सभी वृतों के अधिकारियों से पीडीसी कन्ज्यूमरों में बकाया 534 करोड़ रुपए की राशि की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए थे। इस कार्य के लिए प्रत्येक वृत में अधिशाषी अभियन्ता– पवस को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के साथ ही सभी कनिष्ठ अभियन्ताओं को भी निर्देशित किया गया था कि वे एक माह में ऐसे सभी उपभोक्ताओं के परिसरों की जांच करना सुनिश्चित करें तथा ऐसे परिसरों में यदि अवैद्य कनेक्शन पाएं जाए तो उनके खिलाफ तुरन्त मुकदमा दर्ज कराया जावे।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री कुंजीलाल मीणा ने बताया कि बिजली की बकाया राशि वसूलने के लिए चलाए गए अभियान के अन्तर्गत अलवर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में 3 लाख 67 हजार 77 रुपए की बकाया राशि के 15 प्रकरणों में बुधवार को बकायादारों की सम्पत्ति कुर्क कर कब्जा राज लिया गया। उन्होंने बताया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी की उपस्थिति में सम्पत्ति कुर्क करने की कार्यवाही के तहत बकायादारों से मौके पर एक लाख 2 हजार 269 रुपए वसूल किए गए।

श्री मीणा ने बताया कि इसी क्रम में 19 अक्टूबर को अलवर शहर के चार प्रकरणों एवं अलवर ग्रामीण के एक प्रकरण में 3 लाख 90 हजार रुपए की बकाया राशि की वसूली के लिए सम्पत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि सम्पत्ति कुर्क करने के बाद भी निर्धारित समय में बकायादारों ने यदि बकाया राशि जमा नही कराई तो नियमानुसार न्यायालय के आदेश उपरान्त कुर्क की गई सम्पत्ति को नीलाम करने की कार्यवाही की जाएगी।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 360/2012